Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

200-2015/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, NOVEMBER 28, 2015 (AGRAHAYANA 7, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 28th November, 2015

No. 19-HLA of 2015/89.- The Haryana Gau-Seva Aayog (Amendment) Bill, 2015, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 19- HLA of 2015.

THE HARYANA GAU-SEVA AAYOG (AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Haryana Gau-Seva Aayog Act, 2010.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Haryana Gau-Seva Aayog (Amendment) Act, 2015. Short title.

2. In section 4 of the Haryana Gau-Seva Aayog Act, 2010,- Amendment of section 4 of Haryana Act 19 of 2010.

(i) in sub-section (1), in the existing para under item II, for the word "twelve", the word "sixteen" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), in clauses (i) and (ii), for the word "six", the word "eight" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Gau Seva Aayog was constituted for the purpose of the preservation, welfare and development of Cow species in the State. It is assisting in organising animal husbandry of cattle on modern and scientific lines alongwith use of bio-products generated by the cattle animals maximizing the use of organic manure in the agricultural activities. To oversee the work of the Gau Seva Aayog, there is a provision of appointment of 12 Non-Official members in the Haryana Gau Seva Aayog Act, 2010. The Haryana "Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan Act, 2015 has been put in place by the Haryana State and therefore multifarious activities with regard to protection and conservation of cattle, including establishment of "Gau Abharayans" and Gaugrahas" will also have to be looked after by the Gau Seva Aayog.

In view of the increasing quantum of work to be undertaken by the Aayog, 12 non-official members would not be sufficient to look after this work. Hence increase in number of members from 12 to 16 is being proposed.

RAM BILAS SHARMA,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 28th November, 2015.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2015 का विधेयक संख्या 19–एच.एल.ए.

हरियाणा गौ–सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015
हरियाणा गौ–सेवा आयोग अधिनियम, 2010
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा गौ–सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है । संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा गौ–सेवा आयोग अधिनियम, 2010, की धारा 4 में,– 2010 का हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 4 का संशोधन।

(i) उप–धारा (1) में, मद II के अधीन विद्यमान पैरा में, ''बारह'' शब्द के स्थान पर, ''सोलह'' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) उप–धारा (2) में, खण्ड (i) तथा (ii) में, ''छह'' शब्द के स्थान पर, ''आठ'' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य सरकार ने गाय प्रजातियों के संरक्षण, कल्याण एवं विकास के लिए ''हरियाणा गौ–सेवा आयोग'' को स्थापित करने और गठन करने का निर्णय लिया है। यह आयोग गाय पालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तर्ज पर आयोजित करने और कृषि कार्यों में जैविक खाद के उपयोग को बढ़ाने में सहायता कर रहा है। गौ–सेवा आयोग के कार्य का निरीक्षण करने के लिये हरियाणा गौ–सेवा आयोग अधिनियम, 2010 में 12 गैर सरकारी सदस्यों का प्रावधान है। हरियाणा राज्य द्वारा हरियाणा गौवंश संरक्षण तथा गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 को भी लागू कर दिया है और इसलिये गो अभ्यारण तथा गोग्रह की स्थापना सहित मवेशियों की सुरक्षा तथा संरक्षण के सम्बन्ध में बहुविध क्रियाकलापों की देख–रेख भी गौ–सेवा आयोग द्वारा की जायेगी।

आयोग द्वारा किये जा रहे कार्य की बढ़ौतरी को देखते हुये 12 गैर सरकारी सदस्य पर्याप्त नहीं हैं। इसलिये प्रस्तावित है कि गैर सरकारी सदस्यों कि संख्या 12 से बढ़ाकर 16 कर दी जाये।

राम बिलास शर्मा,
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 28 नवम्बर, 2015.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।

53866—H.V.S.—H.G.P., Chd.